



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 231]

No. 231]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 31, 1979/ज्येष्ठ 10, 1901  
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 31, 1979/JYAISTHA 10, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, मई 3, 1979

का० आ० 328(अ) :—कतिपय नियमों का एक प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार करने का विचार है, उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित रूप में भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना संख्या का० आ० 13(अ) 30/आई डी० आर० ए०/78 तारीख 16 दिसम्बर, 1978 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 16 दिसम्बर, 1978 के पृष्ठ 1558 से 1560/9 तक पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त प्रारूप नियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आपत्तियाँ और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है;

और उक्त राजपत्र 28 दिसम्बर, 1978 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप की बाबत प्राप्त सुझावों पर विचार कर लिया है;

205 GI/79—1.

(573)

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम :—(1) इन नियमों का नाम अनुसूचित उद्योग (उत्पादन विवरणी देना) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी उद्योगों को लागू होंगे, किन्तु वायुयान, ग्राह्य और गोलार्ध-वाहक के विनिर्माण या उत्पादन में लगे उद्योगों और पूर्वोक्त प्रथम अनुसूची में शीर्ष "23. वस्त्र उद्योग (जिसके अंतर्गत रंगे, छपे या अन्य रूप में प्रसंस्कृत वस्त्र भी हैं)" के अधीन वर्णित उन सभी वस्तुओं को, जो पूर्णतः या भाग पटन से, जिसके अंतर्गत पटन द्राइंग और रस्सी गो है, नहीं बने हैं, लागू नहीं होगा।

3. परिभाषाएँ :—इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) अभिप्रेत है,

(ख) "प्रारूप" से इन नियमों से उपोद्धृत प्रारूप अभिप्रेत है

4. विवरणियाँ देना :—(1) ऐसे प्रत्येक उद्योग के संबंध में जिसे ये नियम लागू होते हैं, का स्वामी :—

(क) तकनीकी विकास महानिदेशालय के रजिस्टर में दर्ज और प्रारूप के उपाबंध में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु के विनिर्माण में लगे हुए किसी उद्योग की दशा में, प्रारूप के,

Attested *[Signature]* 19/3/12

महायुक्त नियंत्रक (प्रसारण)

भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

## भाग I—उद्योग/उत्पाद

प्रारूप 'क' (जारी)

उद्योग/उत्पाद का नाम :-----

कोड

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

वस्तुगत

गणना

एकक-----ग/ए 1

-----ग/ए 2

कोड

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

ग/ए 1

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

ग/ए 2

मास के दौरान  
काम किए गए  
दिनों की संख्या

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

प्रतिदिन पालियों  
की औसत संख्या

|  |
|--|
|  |
|--|

प्रति पाली काम  
के घंटे

|  |
|--|
|  |
|--|

: 2 :

## भाग—II : उद्योग के लिये उत्पादन

कारखाना कोड

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

उत्पादन कोड

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

वर्ष

मास

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

वस्तुगत मात्रा

योजनाबद्ध लक्ष्य

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ग/ए 1

कारखाने से निकलते समय उत्पादन मूल्य  
(ह० रु० में)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ग/ए 2

वास्तविक कुल  
उत्पादन

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ग/ए 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ग/ए 2

निर्यात के लिये  
उत्पादन

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ग/ए 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ग/ए 2

Attested *Smt* 19/7/12सहायक नियंत्रक (प्रशासन)  
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग  
रोविल लाइन्स, दिल्ली-54

## भाग II : उद्योग के लिये (उत्पादन जारी)

प्ररूप 'क' (जारी)

इति शेष इडाक  
(मास के अंत में  
तैयार माल का)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ग/ए 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ग/ए 2

व्यादेश : मास के प्रारम्भ में हस्तगत

—मात्रा (ग/ए 1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

—मुख्य (ह० रुपये  
में)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

: 3 :

भाग—III : मुख्य—उपोत्पाद  
(नीचे तथा विनिर्दिष्ट उप-उत्पाद)

कारखाना कोड

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

उत्पादन कोड

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

वर्ष

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

मास

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

1. मुख्य उपोत्पादन का नाम : \_\_\_\_\_

कोड

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

उत्पादन की वस्तुगत मात्रा

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ग/ए 1

कारखाने से निकलते समय मूल्य—(ह० रु० में)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ग/ए 2

2. मुख्य उपोत्पाद का नाम : \_\_\_\_\_

कोड

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

उत्पादन की वस्तुगत मात्रा

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ग/ए 1

कारखाने से निकलते समय मूल्य—(ह० रु० में)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ग/ए 2

Attested *Sm* 19/7/12

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)

भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

## भाग III : मुख्य-उत्पाद (जारी)

प्ररूप 'क' (जारी)

3. मुख्य उत्पाद का नाम :-----

कोड

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

उत्पादन की वस्तुगत मात्रा

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

ग/ए 1

कारखाने से निकलते समय मूल्य (ह० रु० में)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

ग/ए 2

4. मुख्य उत्पाद का नाम :-----

कोड

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

उत्पादन की वस्तुगत मात्रा

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

ग/ए 1

कारखाने से निकलते समय का मूल्य (ह० रु० में)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

ग/ए 2

5. मुख्य उत्पादन का नाम :-----

कोड

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

उत्पादन की वस्तुगत मात्रा

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

ग/ए 1

कारखाने से निकलते समय मूल्य (ह० रु० में)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

ग/ए 2

Attested *Smt. 19/7/12*  
 सहायक नियंत्रक (प्रशासन)  
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग  
 सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

6. मुख्य उपोत्पाद का नाम : \_\_\_\_\_

कोड

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

उत्पादन की वस्तुगत मात्रा

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

ग/ए 1

कारखाने से निकलते समय मूल्य (ह० ह० में)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

ग/ए 2

8. मुख्य उपोत्पाद का नाम : \_\_\_\_\_

कोड

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

उत्पादन की वस्तुगत मात्रा

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

ग/ए 1

कारखाने से निकलते समय मूल्य (ह० ह० में)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

ग/ए 2

8. मुख्य उपोत्पाद का नाम : \_\_\_\_\_

कोड

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

उत्पादन की वस्तुगत मात्रा

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

ग/ए 1

कारखाने से निकलते समय मूल्य (ह० ह० में)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

ग/ए

Attested *Smt* 19/7/12  
 सहायक नियंत्रक (प्रशासन)  
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग  
 सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

प्ररूप 'क' (जारी)

## भाग—IV : श्रम/मशीन उपभोग

| कारखाना कोड          | उत्पाद कोड             | वर्ष                 | मास                  |
|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/>   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| कुल उपलब्ध श्रम घंटे | कुल प्रयुक्त श्रम घंटे |                      |                      |
| <input type="text"/> | <input type="text"/>   |                      |                      |
| कुल उपलब्ध मशीन-घंटे | कुल प्रयुक्त मशीन घंटे |                      |                      |
| <input type="text"/> | <input type="text"/>   |                      |                      |

## भाग—V : अवरोध

श्रम घंटों की प्रतिशत हानि

मशीन घंटों की प्रतिशत हानि

1. विद्युत की कमी:

कोड 0 1

2. श्रमिक अशांति :

कोड 0 2

3. देशी कच्चे माल की कमी :

कोड 0 3

4. आयातित कच्चे माल की कमी:

कोड 0 1

5. बैंगनों की कमी :

कोड 0 2

6. ईंधन की कमी :

कोड 0 3

7. क्रयादेशी का अभाव

कोड 0 1

8. मशीन बंद रहने का समय :

कोड 0 2

Attested *Sanjay* 19/7/12

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)

भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

सिविल लाइन्स, दिल्ली-64

## भाग-VI आबरोजगार निवेश

जून तथा दिसम्बर की विवरणियों सहित यह भाग वर्ष में केवल दो बार भरना है।

प्रकार 'क' (जारी)

(2) उप भाग आंकड़े केवल प्रत्येक छः माह के लिए देने हैं।

(3) तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा तथा विनिर्दिष्ट निवेश की मदों

| कारखाना कोड          | उत्पादन कोड          | वर्ष                 | मास                  |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| मद | कोड                  | वस्तुगत गणना<br>एकक  | कोड                  | 30/6 या 31/12 की समाप्त होने वाली<br>छः माहों के दौरान उपयुक्त मात्रा |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>                                                  |
| 2. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>                                                  |
| 3. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>                                                  |
| 4. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>                                                  |
| 5. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>                                                  |
| 6. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>                                                  |

भाग-VII 30/6 या 31/12 की नियोजित के आंकड़े  
(जून तथा दिसम्बर की विवरणियों सहित यह भाग वर्ष में केवल दो बार भरना है)

प्रकार 'क' जारी

| कारखाना कोड          | उत्पादन कोड          | वर्ष                 | मास                  |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

कर्मचारी का प्रवर्ग  
(गत छः माहों)

नियोजित व्यक्तियों की औसत संख्या  
(गत छः माहों)

|                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (क) पर्यवेक्षकीय                                                      | <input type="text"/> |
| (ख) लिपिक                                                             | <input type="text"/> |
| (ग) कुशल                                                              | <input type="text"/> |
| (घ) अर्ध-कुशल                                                         | <input type="text"/> |
| (ङ) अकुशल                                                             | <input type="text"/> |
| (च) अन्य (यदि कोई हो) जिनकी गणना कारखाना अधिनियम के अधीन नहीं की जाती | <input type="text"/> |

हस्ताक्षर

कार्य का नाम

टिप्पण: "बहु-उत्पाद कारखानों के लिए यह अधिक ठीक होगा कि प्रत्येक उत्पाद के लिए अनुमानित आबंटित श्रम-शक्ति के अनुसार स भाग में रोजगार आंकड़े उपर्युक्त किये जायें। यदि यह सम्भव नहीं है तब इस भाग में सबसे ऊपर कारखाने में विनिर्मित सभी उत्पादों का नाम देते हुए कारखाना का कुल नियोजन समस्त रूप से बताया जाए ताकि गणना के पुनरावृत्ति से बचा जा सके।"

Attested: *[Signature]* 19/7/12

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)

भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

## प्रारूप 'क' का उपबन्ध

उन वस्तुओं की सूची, जिनके विनिर्माण या उत्पादन में लगे कारखाने प्रारूप 'क' में तकनीकी विकास महानिदेशक की विवरण प्रस्तुत करेंगे।

1. ए० ए० सी०/ए० सी० एस० आर० संवाहक
2. स्विचगियर (सर्किट ब्रेकर)
3. मोटर स्टार्टर तथा कंडक्टर
4. एनेमलित वाइडिंग तार तथा पट्टी
5. पेपर इत्यादि से बनी वाइडिंग तार तथा पट्टी
6. पी० वी० सी०/वी० आई० आर० केबल तथा वायर
7. पावर केबल
8. पेपर तथा इलेक्ट्रोलेटिक कैपेसिटर्स
9. पावर कैपेसिटर्स
10. स्टैम्पिंग तथा लैमिनेशन
11. डिस्ट्रिब्यूशन तथा पावर ट्रांसफार्मर
12. लघु आल्टरनेटर
13. औद्योगिक टर्बाइन
14. विद्युत मोटर्स
15. विद्युत मोटर्स (एफ० एच० पी०)
16. रूम एयर कंडीशनर
17. घरेलू रेफ्रिजरेटर
18. वाणिज्यिक वातानुकूलन
19. औद्योगिक वातानुकूलन
20. सील्ड कम्प्रेसर्स
21. पेयजल कूलर
22. स्टोरेज बैटरी (लैड एसिड)
23. ड्राई सेल्स
24. बिजली के पंखे
25. फ्लूरोसेन्ट ट्यूबें
26. मिनीएचर लैम्प
27. जी० एस० एस० लैम्प
28. रेडियो रिसेवर
29. टेलीविजन रिसेवर
30. टेप रिकार्डर
31. रिकार्ड प्लेयिंग उपकरण
32. इलेक्ट्रॉनिक केलकुलेटर
33. सिलिकन रेक्टिफायर तथा सिलिकन कन्ट्रोल रेक्टिफायर
34. ट्रांजिस्टर तथा थायीरिस्ट
35. इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबें
36. कार्बन फिल्म रेसिस्टर
37. इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स (इलेक्ट्रॉनिक)
38. सिरेमिक कैपेसिटर्स
39. प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर्स
40. फेराइट
41. ट्रेक्टर
42. वाणिज्यिक वाहन
43. जोपें
44. सवारी कार
45. मोपेड साइकिल
46. मोटर साइकिल
47. स्कूटर
48. तीन पहियों के स्कूटर
49. रोड रोलर
50. फोर्क लिफ्ट ट्रक्स
51. चलती-फिरती ट्रें
52. पावर ड्रिल्स
53. क्राबलर ट्रैक्टर

205 GI/79-2

54. पोत-निर्माण
55. घर्ष मूविंग मशीनरी
56. बीजल इंजिन
57. पेट्रोल तथा विविध इंजिन
58. एयर/गैस कम्प्रेसर
59. विद्युत-चालित पम्प
60. बॉयलर (इंडस्ट्रियल तथा पावर)
61. कागज तथा लुब्धी मशीनरी
62. चीनी मशीनरी
63. सीमेंट मशीनरी
64. इस्पात संयंत्र उपकरण
65. रबड़ मशीनरी
66. खनन मशीनरी
67. मुद्रण मशीनरी
68. धातुकर्मी मशीनरी
69. रसायन एवं भेषजीय मशीनरी
70. एल० पी० जी० सिलेण्डर
71. गियर बाक्स
72. रेलवे बैंगन
73. बाल तथा रोलर वियरिंग
74. सेफ्टी रेजर ब्लेड्स
75. इण्डस्ट्रियल फास्टनर्स (हार्ड टैन्सिल)
76. बाइसिकलें
77. सिलाई मशीनें
78. दीवार घड़ी एवं अलार्म घड़ी
79. टाइपराइटर और पुर्जे
80. कलाई घड़ी
81. हरीकेन लालटेन
82. कायल एण्ड लीफ स्प्रिंग्स
83. जिप फास्टर
84. टीन के डिब्बे
85. बर्तन (अलौह)
86. मोबाइल फ़ैनों के सिवाय सभी प्रकार की फ़ैनें।
87. वायर रोप
88. वैल्विंग इलेक्ट्रोड्स
89. ट्रांसमिशन टावर्स
90. भारी संरचना
91. हल्की एवं मध्यम संरचना
92. कास्ट आयरन स्थान पाईप
93. लिफ्टें
94. घरेलू मीटर
95. पानी के मीटर
96. एक्सरे उपकरण
97. आईडिंग व्हील्स
98. कोटड अक्वासिक्स
99. हाथ से गढ़े औजार
100. स्टील फाब्रिक्स
101. मशीनी औजार
102. अल्युमिनियम
103. अल्युमिनियम सैमिस आदि
104. अलौह मिश्रण तथा ढलवां सामान (अल्युमिनियम सहित)
105. जिक रोलड प्लेट प्रीडक्स
106. कापर तथा कापर बेस सैमिस
107. अल्युमिनियम की दबने वाली नली
108. तांबा
109. जस्ता
110. सीसा

Attested *[Signature]* 19/7/12  
 सहायक नियंत्रक (प्रशासन)  
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग  
 (सेविल लाइन्स, दिल्ली-64)

- |                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| 111. घातु चूर्ण                 | 148. ए० सी० शीट्स, पाइप और संबद्ध उत्पादन         |
| 112. इस्पात की पाइप तथा ट्यूबें | 149. आटो टायर                                     |
| 113. इस्पात का ठलवा सामान       | 150. आटो ट्यूब                                    |
| 114. स्टील रोल्ल                | 151. साइकिल टायर                                  |
| 115. इस्पात का गढ़ा हुआ सामान   | 152. सिंथेटिक रबड़                                |
| 116. सोडा-एश                    | 153. कन्वेयर बेल्टिंग्स                           |
| 117. कास्टिक सोडा               | 154. रबड़ और केनवस के जूते                        |
| 118. कैल्शियम कारबाइड           | 155. भारतीय एवं पाश्चात्य प्रकार के चमड़े के जूते |
| 119. सल्फ्यूरिक एसिड            | 156. चर्म वस्त्र                                  |
| 120. नाइट्रिक एसिड              | 157. लिनोलियम                                     |
| 121. एसिटिक एसिड                | 158. कागज तथा गत्ता                               |
| 122. फारमल्डीहाइड               | 159. भ्रूखबारी कागज                               |
| 123. थैलिक एलहाइड्राइड          | 160. साबुन                                        |
| 124. पी० वी० सी० रेजिन          | 161. सिन्थेटिक डिजेंडर्स                          |
| 125. फैंटी एसिड                 | 162. टूथपेस्ट                                     |
| 126. हैक्सामीन                  | 163. टूथपाउडर                                     |
| 127. नाइट्रो-बैन्जीन            | 164. शिशु दूध आहार                                |
| 128. एसिटिलीन ब्लैक             | 165. सिगरेट                                       |
| 129. एनहाइड्राइड एसिटिक         | 166. बिस्कुट                                      |
| 130. फीनोल                      | 167. बीयर                                         |
| 131. पोदीने का सत (मैथाल)       | 168. औद्योगिक गैसें—आक्सीजन                       |
| 132. पेंट, एनेमल तथा वार्निश    | 169. औद्योगिक गैसें—घुलनशील एसिटिलोन              |
| 133. कीटनाशक                    | 170. औद्योगिक विस्फोटक सामग्री                    |
| 134. पेन्सिलोन                  | 171. नायलन टायर कोर्ड                             |
| 135. टेड्रासाइक्लिन             | 172. रेयन टायर कोर्ड                              |
| 136. स्ट्रेप्टोमाइसिन           | 173. विस्कोज स्टेपल फाइबर                         |
| 137. क्लोरोएफेनिकोल             | 174. पोलिस्टर फिलामेंट यार्न                      |
| 138. एन्टीबायोटिक्स             | 175. पोलिस्टर फाइबर                               |
| 139. विटामिन 'ए'                | 176. विस्कोज फिलामेंट यार्न                       |
| 140. विटामिन 'बी'               | 177. सैलूजो फिल्म                                 |
| 141. विटामिन 'सी'               | 178. हाई-डैन्सिटी-पोली-एथिलीन (एच० डी० पी० ई०)    |
| 142. सल्फाड्रिम्स               | 179. लो-डैन्सिटी-पोली-एथिलीन (एल० डी० पी० ई०)     |
| 143. मलेरियारोधक औषधियां        | 180. पोलोस्ट्रुन                                  |
| 144. नाइट्रोजनीय उर्वरक         | 181. पेंसिलें                                     |
| 145. फास्फेटिक उर्वरक           | 182. ग्रेफाइट्स इलेक्ट्रोड्स                      |
| 146. सीमेंट                     | 183. रंग तथा रंग का अंतर्वर्ती सामान              |
| 147. उस्मसह                     | 184. दियासलाई                                     |

## मासिक उत्पादन विवरणी

प्रारूप 'ख'

[नियम 4(1)(ख) देखिए]

प्रारूप क से संलग्न उपाबन्ध में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु के विनिर्माण या उत्पादन में लग उद्योगों से भिन्न किसी अनुसूचित उद्योग के सम्बन्ध में स्वामी द्वारा तकनीकी, विकास महानिदेशालय और प्रशासनिक मंत्रालयों को देने के लिए

- (1) कारखाने का नाम
- (2) कारखाने का पता
- (3) जिला तथा राज्य
- (4) उद्योग उत्पाद का नाम
- (5) ..... मास के लिए उत्पादन विवरणी
- (6) मास के दौरान किये गये कार्यों के दिनों की संख्या .....
- (7) प्रतिदिन कार्य की पातियों का औसत
- (8) मास के दौरान उत्पादन

Attested *[Signature]* 29/7/12  
 सहायक नियंत्रक (प्रशासन)  
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग  
 सेविल लाइन्स, दिल्ली-110001

| मास के दौरान उत्पन्न                                                        |                                            |               |                                                                                                                 |                                               |                                                                    |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| क्रम विनिर्मित उत्पाद का नाम (यथा गणना एकक सं० संभव पूर्ण विशिष्टियों सहित) | मास के लिए रखा गया लक्ष्य (उत्पाद-उत्पन्न) | परिमाण मात्ता | कारखाने से निकलने के समय का रूपों में मूल्य (व्याहारियों/वितरकों/अभिकर्ताओं का कमीशन और उत्पाद शुल्क को छोड़कर) | रिपोर्ट वाले मास के अंतिम दिन तक इतिषेय स्टॉक | अवधि जिसके लिए कारखाना पूर्णरूप से निम्नलिखित आधार पर व्यस्त रहेगा | (1) मास के प्रथम दिन की हस्तगत क्रयदेशों की संख्या | (2) प्राक्कलित मांग |
| 1                                                                           | 2                                          | 3             | 4                                                                                                               | 5                                             | 6                                                                  | 7                                                  | 8                   |

## 9—नियोजन

(वर्ष में केवल दो बार जून और दिसम्बर में देने के लिए)

कारखाना अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित कर्सेकार

पिछले अर्धवर्ष के दौरान नियोजित व्यक्तियों की औसत संख्या

- (1) परम्प्रेक्षीय
- (2) लिपिक
- (3) कुशल
- (4) अर्ध-कुशल
- (5) अकुशल
- (6) अन्य (यदि कोई हो) जिनकी गणना कारखाना अधिनियम के अधीन नहीं की जाती

भाग

10. प्रश्नावली

उत्तर

(I) क्या मास के दौरान आपका कारखाना पूर्ण क्षमता पर काम करता रहा है ?

यदि नहीं तो उसके कारण जैसे :

(क) अमिक अशांति:

(ख) कच्चे माल, ईंधन और बिजली प्राप्त करने में हुई कठिनाई और उसे दूर करने के लिए किये गये प्रयास :

- (i) देशी सामग्री
- (ii) आयातित सामग्री
- (iii) भट्टी तेल
- (iv) लाइट डीजल तेल
- (v) कोयला
- (vi) कोक
- (vii) विद्युत शक्ति

(ग) परिवहन की कठिनाई और उसे दूर करने के लिए किए गए प्रयास :

- (i) कच्चे माल के यातायात में ।
- (ii) तैयार माल के यातायात में ।

(घ) अन्य कारण, जैसे, मशीनों की खराबी, अवस्थाहालिय आदि, यदि कोई है तो निम्नलिखित में उल्लेखनीय परिवर्तन के कारण

- (i) गत मास की तुलना में प्रतिवेदनाधीन शील मास में हुआ उत्पाद
- (ii) वास्तविक लक्ष्य और निश्चित लक्ष्य

(II) निर्यात:—

- (1) वर्ष के लिए लक्ष्य
- (2) मास में किया गया निर्यात (रुपये में)
- (3) चालू वर्ष के लिए संवयी निर्यात (रुपये में)

उत्पाद

योग

(III) प्राक्कलित उत्पादन हानि यदि कोई निम्नलिखित कारण से हुई हो ।

(यदि कारखाने में एक से अधिक उत्पादों का उत्पादन होता है तो प्रत्येक प्रमुख उत्पाद के लिए अलग अलग

परिमाण

मूल्य

(i) अमिक

(ii) कच्चा माल

Attested *[Signature]* 19/7/12  
 सहायक नियंत्रक (प्रशासन)  
 भारत सरकार, प्रशासन विभाग  
 सिविल लाइन्स, दिल्ली-64

- (iii) विद्युत् शक्ति  
(iv) भट्टी तेल  
(v) यातायात  
(vi) अन्य

कुल

हस्ताक्षर  
कार्य का नाम

कीम प्रतियां प्रेषित :

विकास अधिकारी (प्रायोजक निदेशालय) तकनीकी विकास मूल्यानिदेशालय उद्योग भवन, नई दिल्ली -110011

प्रतिलिपि

- (1) ..... (प्रशासनिक मंत्रालय) (भारत सरकार, नई दिल्ली)  
(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली, (केवल उत्पाद शुल्क के अर्जीन आने वाली वस्तुओं के लिए)  
(3) उद्योग निदेशक ..... राज्य

लोह और इस्पात नियंत्रक के रजिस्टर में दर्ज उद्योगों के संबंध में स्वामियों द्वारा लोह और इस्पात नियंत्रक तथा इस्पात विभाग को दिया जाना है।

प्रारूप 'ग'

[नियम 4(1)(ग) - देखिए]

कोड सं०

(लोह और इस्पात नियंत्रक द्वारा प्राबंठित)

..... मास के लिए मासिक उत्पादन रिपोर्टें

उपक्रम का नाम और पता

उपक्रम के स्वामी का नाम और पता

## 1. कच्चा माल

| कच्चे माल का नाम     | पूर्वतन मास की समाप्ति पर स्टॉक | मास के दौरान प्राप्ति | मास के दौरान उपभोग | मास अन्त में समाशोधन स्टॉक |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| 1                    | 2                               | 3                     | 4                  | 5                          |
| (क) देशी कच्चा माल   |                                 |                       |                    |                            |
| (1)                  |                                 |                       |                    |                            |
| (2)                  |                                 |                       |                    |                            |
| (3)                  |                                 |                       |                    |                            |
| (4)                  |                                 |                       |                    |                            |
| (ख) आयातित कच्चा माल |                                 |                       |                    |                            |
| (1)                  |                                 |                       |                    |                            |
| (2)                  |                                 |                       |                    |                            |
| (3)                  |                                 |                       |                    |                            |

## 2. तैयार उत्पाद

| तैयार उत्पाद का नाम | मास के दौरान उत्पादन | स्तम्भ 2 में उपर्युक्त उत्पादन के लिए देशी कच्चे माल का प्राक्कलित उपभोग | स्तम्भ 2 में उपर्युक्त उत्पादन के लिए आयातित कच्चे माल का प्राक्कलित उपभोग | मास के दौरान प्रेषण | मास के अंत में स्टॉक |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1                   | 2                    | 3                                                                        | 4                                                                          | 5                   | 6                    |

1.

2.

हस्ताक्षर

प्रारूप 'ब'

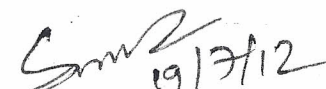
[नियम 4(1)(ब) देखिए]

यह राज्य के उद्योग निदेशक या उद्योग आयुक्त और विकास आयुक्त (लघु उद्योग) नई दिल्ली को भेजें तथा उसकी एक प्रति लघु उद्योग सेवा संस्थान को भेज दें।

मास के लिए उत्पादन विवरणी

गणना पहचान सं०

1. लघु एकक का नाम  
2. पता—कारखाना

Attested  19/7/12

आयुक्त नियंत्रक (प्रशासन)  
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग  
सिविल लाइन्स, दिल्ली-6

3. लघु उद्योग रजिस्ट्रीकरण सं० और तारीख
4. संयंत्र और मशीनरी में विनिर्धान (मूल मूल्य)
5. नियोजित कर्मकार :
  - (क) पर्यवेक्षी
  - (ख) अन्य
6. मास के दौरान उत्पादन

| उत्पाद | कोड | उत्पादन |            | टिप्पणियाँ |
|--------|-----|---------|------------|------------|
|        |     | मात्रा  | मूल्य (र०) |            |
| 1.     |     |         |            |            |
| 2.     |     |         |            |            |
| 3.     |     |         |            |            |
| 4.     |     |         |            |            |

योग

(भरना नहीं है)

7—मास के दौरान उपभुक्त कच्चा माल

| वस्तु    | कोड | मात्रा की एकक | मात्रा | मूल्य |
|----------|-----|---------------|--------|-------|
| (क) देशी |     |               |        |       |
| 1.       |     |               |        |       |
| 2.       |     |               |        |       |
| 3.       |     |               |        |       |
| 4.       |     |               |        |       |

योग

(ख) आयातित

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

योग

(भरना नहीं है)

टिप्पण : यदि अधिक मदे उपयोग में लाई जाती हैं तो अतिरिक्त कागज संलग्न न करें ;

प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर और तारीख

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 1979

S.O. 328(E).—Whereas the draft of certain rules which the Central Government proposed to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (g) of sub-section (2) of section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) was published as required by sub-section (1) of that section at pages 1558 to 1560/9 of the Gazette of India Extraordinary Part II—Section 3—sub-section (ii) dated the 16th December, 1978 with the notification of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development No. S.O. 13(E)/30/IDRA/78, dated the 16th December, 1978, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of sixty days from the publication of the draft rules in the Official Gazette ;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 28th December, 1978 ;

And whereas the suggestions received have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

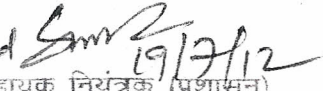
1. Short title : (i) These rules may be called the Scheduled Industries (Submission of Production Returns), Rules, 1979.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application : These rules shall apply to all the industries specified in the First Schedule to the Act, except industries engaged in the manufacture or production of aircraft, arms and ammunition and all articles mentioned under the heading "23. Textiles (including those dyed, printed or otherwise processed)", in the aforesaid First Schedule, not being those made wholly or in part of jute, including jute twine and rope.

3. Definitions : In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) ;

Attested   
 सहायक नियंत्रक (प्रशासन)  
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग